"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2011—आश्विन 20, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7296/डी. 197/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2011 है.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

तृतीय अनुसूची का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

क्र. (1)	यानों का वर्णन (2)	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के प्रत्येक वाहन के लिये वार्षिक कर (3)
1.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल (इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अनधिक)	रु. 20.00
2.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल से भिन्न मोटर साइकिल	रु. 30.00
3.	तिपहिया वाहनों के लिये	रु. 100.00
4.	हल्का मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 600.00
5.	मध्यम यात्री वाहन जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 700.00
6.	मध्यम मालयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 700.00
7.	भारी यात्री वाहन जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 1250.00
8.	भारी मालयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 1250.00
9.	विशिष्ट विवरण के अन्य कोई मोटरयान	रु. 1000.00

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7296/डी. 197/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2011)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act further to amend The Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.

Amendment of the Third Schedule.

2. For the Third Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the following shall be substituted, namely :—

No. (1)	Description of Vehicles (2)	Annual tax for every vehicle in possession of a manufacturer or dealer (3)
1.	Moped and Motorized cycles (engine capacity not exceeding 50 cc)	Rs. 20.00
2.	Motor-Cycle other than mopeds and motorized cycles.	Rs. 30.00
3.	Three Wheelers vehicles	Rs. 100.00
4.	Light motor vehicles including chassis.	Rs. 600.00
5.	Medium Passenger vehicles including chassis	Rs. 700.00
6.	Medium Goods vehicles including chassis	Rs. 700.00
7.	Heavy Passenger vehicles uncluding chassis	Rs. 1250.00
8.	Heavy Goods vehicles including chasses.	Rs. 1250.00
9.	Any other motor vehicles of a specified description.	Rs. 1000.00

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.